मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3466
11.08.2025 को उत्तर के लिए

जंगल में आग की रोकथाम

3466. डॉ. राजीव भारद्वाज :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 2017-18 के दौरान जंगल में आग के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) जंगल में आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपनाई जा रही नई तकनीकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) इस मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से वनाग्नि की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में अध्ययन किया और वर्ष 2018 में "भारत में वनाग्नि प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण" शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत में वनाग्नि के पैटर्न और प्रवृत्तियों के विश्लेषण तथा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन संबंधी नीतियों का उल्लेख है। इस रिपोर्ट में पांच व्यापक विषयों (नीति, संस्थान एवं क्षमता, सामुदायिक सहभागिता, प्रौद्योगिकी तथा आंकड़े एवं सूचना) पर की गईं विस्तृत संस्तुतियां तथा इस मंत्रालय द्वारा भारत में 'राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना' तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।

(ग) इस मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना-2018' लागू की है, जिसमें वनाग्नि को रोकने और आग के खतरों के प्रति वनों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट उपाय करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप राज्य कार्य योजनाएं तैयार करते हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर (एमओडीआईएस) और सुओमी नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्यूट (एसएनपीपी-वीआईआईआरएस) सैटेलाइट-माउंटेड सेंसर का उपयोग करके देश में वनाग्नि की घटनाओं का पता लगाया जाता है।

यह मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से वनाग्नि से निपटने के लिए पंजीकृत अभिदाताओं और राज्य वन विभाग के अधिकारियों को पूर्व-अग्नि अलर्ट (एक सप्ताह पहले), व्यापक वनाग्नि अलर्ट और निकटतम वास्तविक समय के वनाग्नि अलर्ट उपलब्ध कराता है।

इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के सहयोग से व्यापक वनाग्नियों से निपटने के लिए तीन दलों को प्रशिक्षित किया है, जिसमे 150 कार्मिक शामिल हैं। इन दलों को वनाग्नियों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है।

यह मंत्रालय, केंद्रीय प्रायोजित वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन स्कीम तथा काम्पा (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण) निधियों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वनाग्नि से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****